□□□□ □□□□□

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□

अतारांकित प्रश्न □**ख**□□ :985

22 □□□□, 2019 **को पूछे जाने वाले प्रश्न** □□ □त□□

□□□□त□□

985. सुश्री नुसरत जहां रूहाः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने का □□□ □□□□ि□□

(क) विगत तीन वर्षों म देश म मातृ मृत्यु को राज्य-□□□ □ख□□ ि□□□□ □; □ □

(ख) उन मौतों के पीछे क्या है और इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम □□□□ □□□□?

□त□□

स□**स्थ्य** □□ □ि□□□□ □**ल**□□□ □**ज**□ □**त्री** (**श्री** □**श**□□□ □□□□ □□□)

(□): □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ प्र□□□ (□□□□□□) □□ □□□□ □□□□प्र□□□ □□□□त□□□□ □□□□□ प्र□□□ □□□□□, जो वार्षिक आधार पर मातृ मृत्यु □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□त□□□□ ि□□□ □□□□ □, □□ि□□ □षा अनुमान प्रदान करने के लिए ि□□□त□क रूप से व्या□□ □□□□ □□□□क्षि□ □□ □□ □□□□ □□□□ □ख□□ म वृद्धि करने □□ि□□ ि□□□□ □□□□त□□ □□ि□श□सनीय अनुमान प्राप्त □□□□□□□□□ □□ □□□□□ को पूलिंग द्वारा निकाले जाते ह।

□□□□ के महापंजीयक द्वारा जारी की गई नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) की रिपोर्ट □□□□□□ □□□□ □□ □□□□त□□□□□□ (□□□□□□) □□□□□□ 2011-13 □ 167 प्रति 1,00,000 □□ि□□ □न्□ि □□□□□□ □□□□□ 2014-16 □ 130 □□□ □□□□ □□ 2015-17 म और घटकर 122 प्रति 100,000 □□ि□□ □न्□ □□ □□□ □□

□ज□□□ □□□□त□ि□□□□ □□□ग□□ □□ □□

(□): □□□□ □ □□□□त□:2001: 2003 प्र□ति□□□, □□□□ □□□□ि□□ □□□□ ‘ □□□□ □□□□□-□□□□□ ि□□□ □□□□□□□, □□ □□□□□त□□□□ख□ □□□□ ि□म्□ि□ि□□ □: □ि□□□ (38%), □□प्ट□□ (11%), हाइपरटेंसिव डिसआडर (51%), □□□□क□ प्र□ि□ (5%) □□□□□ (8%) □□□ □न्□ □से□ि□□□(34%) जिसम खून की कमी शामिल ह।

राष्ट्री□ स□स्थ्य मि□□ □□□□□ □□ □ □□□□त□□को घटाने के लिए निम्नलि□ि□□ □□□ □□□□ □□ □□□□:

- □□□□ □□क्ष□ □□□□: जो कि एक मांग संवधक और सशत नकदा अंतरण स्का□ □,□□ □□□□□□ □□□□□ □त□□म कमी लाने के उद्देश्य से 2005 म प्रारंभ किया □□□ □□।
- **जननी शिशु सुरक्षा कायक्रम का उद्देश्य** □□□□□ मि□□□□□□□ □□□□ □□□□□ शिशुओं (एक वष का आयु तक के) के लिए सामथ्य □□□ि□□ □□□□□□□व□□ □□ □त□ करना है। जेएसएसके के अंतगत प्रत्येक गभवती महिला सरकारा स्वास्थ्य कद्रों म सिजेरियन सेक्शन सहित नि:शुल्क प्रसव हेतु पात्र होती ह। इसम नि:शुल्क □ि□□□□, नैदानिक सामग्री, □□□□□□ □न□ □□□□ज□, खाद्य और रक्त, □ि□ अपेक्षित हो, □ि□□ □□
- **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व** □ि□□□ (□□□□□□□□□) □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□ मि□लाओं को निश्चित नियत दिवस, मि:□ल□ □श□स□ □□□ □□ □□□त□□क□ प्र□□-पूव परिचया प्रदान का जाती है। अभिया□ □□□□ □□□ □□रू□ □ प्रत□□ □□ि□□□ 9 ताराख को लाभाथियां म एक न्यूनतम प्रसव पूव परिचया □□□ □□□□ (□□□ □□□□□ि□ □ि□□) प्र□□□ मि□□ □□ □□□ □□
- **सुरक्षित मातृत्व** □श□□□: □□□ मि□□□□ □ग□ □□□□□□□□□□□□ □त□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ष□ □□ने के लिए तथा सकारात्म□ प्र□□ □□□□ प्र□□□ □□□□ के लिए जन सवास्थ्य □न्द्रों म आने वाला प्रत्ये□ □ि□□□ □□ □□□□□ मि□□□□ □श□ि□□, □त□□□□□, □म□□नजनक एवं नि:शुल्क □□□त□□□ स□स्थ्य परिचया, □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□न्□ □□□□□□□ □□□द्देश□ □□□ □□ व□□□□ बहुआयामी एवं समन्वित नीति दृष्टिकोण है।
- **व□□पक गभपात परिचया सेवाएं** स□स्थ्य परिचया प्रदाताओं के प्रशिक्षण, □□ि□□ं, □□□□□ं, सूचना शिक्षा एवं संचार (आईईसी) आदि का आपूति के माध्य□ □□ सुदृढ़ का जा रहा है।
- □□□□□□□ □□□□रू□ □□□□ सहित मात्र एवं बाल परिचया के प्रावधान हेतु आगनवाड़ी कद्रों पर एक आउटराच काय के रूप म मासिक ग्रामीण स्वास्थ्य □□□ □□□□ मि□□□ (□□□□□□□□)□
- **मिडवाइफरा कायक्रम** मिडवाइफरा मे नस प्रेक्टि□□□ □□□□ □□□, जो अंतरराष्ट्री□ मि□□□□□ □□ (□□□□□□) □क्ष□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □ □□ □□□□□ □□□□ महिला केन्द्रित प्रजनन, □□□□□□□□□□□ स□स्थ्य परिचया सेवाएं प्रदान करने म □क्ष□ □, के सृजन के लिए 2018 म प्रारंभ किया गया था।

- **क्षमता निमाण** □□स्थिसिया एवं प्रसूति परिचया एवं सी-□क□□ (□□□ □ □□) □ ि□शेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों म विशेषज्ञों का कमी को दूर करने के लिए □□□□□□□ □□क□रों के कौशल के लिए चलाया जाता है।
- **प्रशिक्षण का गुणवत्ता** □□□□□□□ि□□ ि□भिन्न प्रशिक्षण कायक्रमों के लिए निधारित कुशलता कद्रों वाली कौशल प्रयोगशालाएं स्थापित का जाती ह। प्रशिक्षण संचालित □□□□□□ि□□ 5 राष्ट्री□ □□ 100 से अधिक राज्य स□□ि□ □□□□ प्र□□□□□□□□ □□ प्र□□□त□□ □□
- □च□ □□□□ं □ा □ख□□ वाले कद्रों म □□□□□□□□□□ **स□स्थ्य** (□□□□□□) स□□ स□ापित किए गए ह ताकि माता एवं बच्चों को प्रदान का जानेवाली परिचया का □□□त□□ □ □□□□ □□□□ □□ □□□
- □ि□□ □□ं □□□स□न के लिए देशभर म किसी भी उच्च □□□□ं □ा □ख□□ □□□□ तृतीयक परिचया कद्रों म प्रसूति आईसीयू/एचडीयू को प्र□□□त□□ □□□□□ □□□ □□
- **प्रसूति स्थ□**- ट□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□ □ □ □□ प्र□□□□□ □□□ □□□□□□□□, उपकरण और प्रशिक्षित जनशक्ति के संबंध म देशभर म 25 □□□□ □□□ि□□ प्रसूति स्थ□ं □□ □द्द□ ि□□□ □□□ □□
- □□ □ □□□□□ □□□□त□□ □□□□□: एफआरयू को प्रचालन योग्य □□□□□ □□ □ □□□□ आपातकालीन प्रसूति परिचया का प्रावधान किया जा रहा है। इन्ह प्रचालात्म□ □□□□□□□□ □□□□क्े□, □क□ □□□□□ □□□, रेफरल संपक आदि जैसे महत्व□□ □□□□ं □□ □□ ि□□□ □□□□ □□
- □क्ष□ - प्रसूति के दौरान एवं प्रसव के तत्का□ □श□□ □□□□□ □ि□□□ □ □□□ □म्□□□□□□ □□□□□□त□पूण परिचया प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए प्रसव कक्ष एवं प्रसूति ऑपरेशन थियेटरों म परिचया का गुणवत्ता □ □□□□ □□□□ □क्ष□ □□क्र□ □□ □द्देश□ □□
- □□□स□□ □□ □□□□ □□□□□, ि□□ि□□ □□□□□, □स□ानिक प्रसूति, □□□□ □□□ □ि□□□□ □□□□घ्र □□□□□□ □□□नियमित आईईसी/बीसीसी संचालित किया जाता है।
- □□□□□ ि□शेष रूप से गभवती महिलाओं द्□□□ स□स्थ्य परिचया सेवाओं का पहुच म कारगर बनाने के लिए 10 लाख से अधिक प्रत्या□□ □□□□□□ स□स्थ्य कायकताओं (आशा) को भर्ता किया गया है।
- केन्द्र □□□ □□□□ि□□ स□□ □□ □□□□ □त□□निगरानी समीक्षा (एमडीएसआर) कायान्वित का जा रहा है। □□□□ □द्देश□ □□□क□ स□रों पर उपचारी कारवाई करना और प्रसूति परिचया का □□□त□□ □ □□□□ □□□□ □□
- गभवती महिलाओं और नवजात शिशुओं का नाम आधारित वेब सक्षम ट्रेकिंग ताकि उनके लिए नियमित एवं संपूण सेवाओं का प्रावधान सुनिश्चित हो सके।

- गभवती महिलाओं को खुराक संबंधी विविधता पर शिक्षित करने और आईएफए के □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ लिए गभवती महिलाओं को एमसीपी काड और सुरक्षित □□□त□ □□से□□□ वितरित का जा रहा ह।

***

[illegible]

[illegible]

क्र.[illegible]	[illegible]/[illegible] क्षेत्र	[illegible] 2011-13 [illegible]	2014-16 ([illegible] 2015	2015-17 ([illegible] 2016
1	आंध्र प्रदेश	800	640	640
2	[illegible]	2100	1,720	1,660
3	[illegible]	6100	4,900	4,900
4	[illegible]	1400	NA	890
5	[illegible]	1500	1,200	1150
6	[illegible]	700	570	560
7	[illegible]	1700	NA	630
8	[illegible]	1500	1,230	1,110
9	[illegible]	300	230	210
10	[illegible]	4400	3440	3740
1 1	[illegible]ष्ट्र	1300	1,170	1,060
12	[illegible]	1900	1,490	1,390
13	[illegible]	600	540	540
14	[illegible]	4400	3,630	3,390
15	[illegible]	900	750	710
16	[illegible]	600	520	490
17	उत्तर प्रदेश	16000	11,480	12,340
18	[illegible]	1700	1480	1380
19	[illegible]	500	NA	170
20	[illegible] / [illegible] क्षेत्र		940	930